NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Prayagraj (U.P.)

No : 70/NCRES/84/76/23 Date : 31.3.2023

श्रीमान प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय : श्री राजीव गुप्ता, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक, झांसी का ग्रुप B 70% कोटे के अन्तर्गत सहायक वाणिज्य प्रबंधक के पद हेतु चयन में पुनः चिकित्सीय परीक्षण कराने के सम्बन्ध में।

संदर्भ : NCR/HQ का नोटिफिकेशन पत्र संख्या 797/E/Gaz/Gr B/Sele/CBT/Comml/ 70% 2023-24 दिनांक 21.3.2023

महोदय,

अवगत कराना है कि NCR/HQ द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित नोटिफिकेशन के तहत लिखित परीक्षा में पास होने के पश्चात श्री राजीव गुप्ता, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक, झांसी का मेडिकल परीक्षण झांसी के मण्डल चिकित्सालय में किया गया था, जिसमें उन्हें असफल घोषित करते हुये 10 अप्रैल 2023 को होने वाले साक्षात्कार में शामिल नही किया गया है।

यह भी कि श्री गुप्ता ने अनफिट किये जाने के विरूद्ध अपनी पुनः चिकित्सीय परीक्षण की अपील में प्राईवेट डाक्टर झांसी द्वारा दिनांक 28.3.2023 की परीक्षण रिपोर्ट संलग्न की है जिसमें नेत्र चिकित्सक ने उनकी दोनो आंखो में पूर्व में Cataract Surgery होने की बात कही है एवं बताया है कि वर्तमान में दोनो आंखे ठीक है।

NCRES का मानना है कि चूंकि श्री गुप्ता का B-2 कैटेगिरी का मेडिकल हुआ है एवं उनका चयन एक नान टेक्निकल कैटेगिरी में हुआ है। अतः वर्तमान में दोनो आंखे ठीक होने के बावजूद भविष्य में Glaucoma के बढ़ जाने के अंदेशे से उनको अनफिट किया जाना गलत है, वो भी तब जब Glaucoma (Suspected) का ट्रीटमेन्ट मौजूद है एवं उनके रिटायरमेन्ट में मात्र दो वर्ष शेष है।

अतः NCRES का अनुरोध है कि श्री गुप्ता के पुनः चिकित्सीय परीक्षण कराने का आदेश जारी किया जाय ताकि कर्मचारी अपना चिकित्सीय परीक्षण कराके ग्रुप 'B' 70 % के अन्तर्गत सहायक वाणिज्य प्रबंधक के पद पर सफलता पूर्वक कार्य कर सके।

आदेश की प्रति NCRES को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

प्रतिलिपि :– प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज